resentatives of Chambers of Commerce, Agricultural interests, registered Passengers Associations, local educational institutions, local self Government bodies and general public. The total membership for these committees should not exceed 30 in the case of DRUCC, 40 in the case of ZRUCC and 10 for Station Consultative Committee. The DRUCCs and ZRUCCs were last constituted for a two year term commencing from 1.9.1994 and 1.6.1994 respectively. These committees are in the process for re-constitution.

दुधारू पशुओं की संख्या

3200. **श्री भगवानराव देवशंकर दवे:** क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास दुधारू पशुओं की संख्या के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) गुजरात समेत उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) गुजरात में दुधारू पशुओं द्वारा औसतन कितना दूध दिया जाता है;

(घ) क्या सरकार ने दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार लाने तथा उनके पोषण के लिए कोई नयी राष्ट्रीय नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जानकारी विवरण के रूप में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(ग) 1994-95 के अनुमान के अनुसार गुजरात में प्रति दुधारू पशु की औसत दुग्ध पैदावार इस प्रकार है:—

गाय

(1) वर्ष संकर : 7.964 किलोग्राम प्रतिदिन

(2) गैर-प्रजातीय : 2.844 किलोग्राम प्रतिदिन

3.796 किलोग्राम प्रतिदिन

भैंस

(घ) दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए एक नई नीति सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) यह प्रस्तावित है कि नस्ल के चुने हुए जानवरों व दूसरी नस्ल के जानवरों के माध्यम से नस्ल सुधार की वर्तमान नीति में अब नीति में अब किसानों को क्रास ब्रीडिंग में नस्ल का चुनाव करने दिया जाये तथा कार्यक्रम को अन्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से सम्बद्ध किया जाये।

विवरण

दुधारू पशुओं की संख्या
(1987 की पशुधन संगणना के अनुसार)

(संख्या हजारों में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गोपशु	भैंस
1.	आंध्र प्रदेश	2378	4028
2.	अरूणाचल प्रदेश	76	4
3.	असम	1969	161
4.	बिहार	4718	2205
5.	गोवा	29	17
6.	गुजरात	1673	2450
7.	हरियाणा	603	1753
8.	हिमांचल प्रदेश	622	433
9.	जम्मू और कश्मीर	850	294
10.	कर्नाटक	3246	2114

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गोपशु	भैंस
11.	केरल	1547	116
12.	मध्य प्रदेश	8548	3118
13.	महाराष्ट्र	5164	2563
14.	मणिपुर	153	33
15.	मेघालय	147	7
16.	मिजोरम	17	2
17.	नागालैंड	58	3
18.	उड़ीसा	3889	384
19.	पंजाब	1002	2951
20.	राजस्थान	4001	3176
21	सिक्किम	47	1
22.	तमिलनाडु	2810	1470
23.	त्रिपुरा	247	6
24.	उत्तर प्रदेश	6159	8196
25.	पश्चिम बंगाल	5690	220
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14	4
27.	चण्डीगढ़	3	14
28.	नादर व नगर हवेली	12	2
29.	दिल्ली	21	158
30.	लक्षद्वीप	—	—
31.	पांडिचेरी	34	5
	सकल योग—	56087	35888

कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिये धनराशि आवंटित न किया जाना

3201. **श्रीमती मालती शर्मा:**
श्री इकबाल सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी विशिष्ट स्थान पर ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में मानदण्ड क्या हैं और उनसे कौन-कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि जिन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हुए दस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उनको सरकार द्वारा कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी:

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या धनराशि आवंटित न करने से कृषि विज्ञान केन्द्रों पर प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) सरकार ने आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान 78 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के मानदण्डों में एक जगह पर 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, जहां तक संभव हो सके जिले के मध्य भाग में मेजबान संस्थान से मार्गदर्शन व समर्थन पर्याप्त तकनीकी सहायता और कोष प्रदान करने की विधि की स्वीकृति शामिल है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों का उद्देश्य नवीनतम कृषि टेक्नोलाजी को अपनाने में किसानों को सहायता देना है।